YOJANASEWA.COM

https://yojanasewa.com

पीएम आवास योजना 2026 मोबाइल से करें आवेदन, खाते में आएंगे 1.30 लाख!

विषय सूची (Table of Contents):

>> पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है?...

>> पीएम आवास योजना ग्रामीण के मुख्य फायदे और वित्तीय सहायता...

>> मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आर्थिक मदद...

>> मकान का न्यूनतम आकार और बुनियादी सुविधाएं...

>> अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence)...

>> बैंक लोन और ब्याज पर सब्सिडी की सुविधा...

>> PMAY-G के लिए पात्रता किन्हें मिलेगा पक्के मकान का लाभ?...

>> पात्र परिवारों की श्रेणियां...

>> अपात्रता की शर्तें किन लोगों को नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा?...

>> आर्थिक और संपत्ति संबंधी अपात्रता...

>> आय और रोजगार संबंधी अपात्रता...

>> जमीन के मालिकाना हक संबंधी नियम...

>> पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची...

>> आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?...

>> मोबाइल ऐप (Awaasplus 2024) से आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया...

>> चरण 1 जरूरी ऐप्स डाउनलोड करना और भाषा का चयन...

>> चरण 2 सर्वे प्रकार और आधार ऑथेंटिकेशन...

>> चरण 3 फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान)...

>> चरण 4 लोकेशन और परिवार का विवरण दर्ज करना...

>> चरण 5 सदस्यों का विवरण और बैंक डेटा सबमिशन...

>> निष्कर्ष...

>> महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर...

भारत सरकार देश के हर गरीब और बेघर नागरिक को अपना खुद का पक्का मकान देने के संकल्प के साथ काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिएप्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)एक वरदान साबित हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे और टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर प्रदान करना है।

यदि आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, तो वर्ष 2026 के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप इस योजना के लिए आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इस विस्तृत लेख में हम आपको PMAY-G के लाभ, नई पात्रता सूची, जरूरी दस्तावेज, आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण और मोबाइल ऐप के माध्यम से नई डिजिटल आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी विस्तार से देंगे।

पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) केंद्र सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा संचालित किया जाता है। पूर्व में चालू की गई इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके इसे लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेघर परिवारों और जर्जर घरों में गुजर-बसर करने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

सरकार का लक्ष्य केवल मकान की दीवारें खड़ी करना नही है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित आशियाना देना है जहाँ हर बुनियादी सुविधा मौजूद हो। इस योजना के अंतर्गत बनने वाले घरों का स्वामित्व मुख्य रूप से परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से दिया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। आप केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहीसरकार की 5 धांसू योजनाएं, सीधे खाते में पैसा और घरके बारे में भी पढ़ सकते हैं, जो गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचा रही हैं।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के मुख्य फायदे और वित्तीय सहायता

PMAYG योजना के तहत लाभार्थियों को केवल मकान बनाने की राशि ही नही मिलती, बल्कि इसके साथ कई अन्य कल्याणकारी सरकारी योजनाओं (Government Schemes) के लाभों को भी जोड़ा गया है। इस योजना के तहत मिलने वाले मुख्य वित्तीय लाभ और सुविधाएं इस प्रकार हैं:

मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आर्थिक मदद

>> मैदानी क्षेत्र (Plain Areas):मैदानी इलाकों में पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी परिवार को 1,20,000 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है।

>> पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र:हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों (North-East States), केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने की लागत अधिक होने के कारण सरकार 1,30,000 रुपये प्रति यूनिट की आर्थिक मदद देती है।

मकान का न्यूनतम आकार और बुनियादी सुविधाएं

योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान का न्यूनतम साइज25 वर्ग मीटरहोना अनिवार्य है। इस स्पेस के भीतर एक स्वच्छ और सुरक्षित किचन (रसोई घर) के निर्माण के लिए अलग से जगह सुनिश्चित की गई है, ताकि परिवार की महिलाओं को खाना बनाते समय धुएं और प्रदूषण से राहत मिल सके।

अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence)

>> स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G):घर में शौचालय (Toilet) का निर्माण करने के लिए लाभार्थी को अलग से 12,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है।

>> मनरेगा (MGNREGA) के तहत रोजगार:मकान निर्माण के काम में मदद के लिए लाभार्थी को मनरेगा के तहत 95 दिनों तक के अकुशल श्रम (Unskilled Labour) के लिए काम की गारंटी और मजदूरी दी जाती है।

>> प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:इस योजना के अंतर्गत आने वाले हर लाभार्थी परिवार को भोजन पकाने के लिए एक मुफ्त एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

>> बिजली और पेयजल सुविधा:सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन और जल जीवन मिशन के माध्यम से घर में पीने के साफ पानी का नल कनेक्शन भी दिया जाता है।

बैंक लोन और ब्याज पर सब्सिडी की सुविधा

यदि कोई लाभार्थी अपने मकान को थोड़ा और बड़ा या बेहतर बनाना चाहता है, तो उसे पक्का मकान बनवाने के लिए वित्तीय संस्थानों से70,000 रुपये तक के लोनकी सुविधा बेहद कम दरों पर मिलती है, जिसमें 3% ब्याज दर की छूट (Interest Subsidy) शामिल है। इसके अलावा अधिकतम 2,00,000 रुपये तक के मूलधन (Principal Amount) पर भी सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी विकास कार्यों की गति तेज है, जिसकी पूरी जानकारी आपयोगी सरकार का बड़ा कमाल! आवास, पेंशन और रोजगार में यूपी बना नंबर 1पर जाकर देख सकते हैं।

PMAY-G के लिए पात्रता: किन्हें मिलेगा पक्के मकान का लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) का लाभ समाज के सबसे निचले और वंचित स्तर पर रहने वाले लोगों तक पहुँचाने के लिए सरकार ने बेहद कड़े और पारदर्शी पात्रता मानदंड तय किए हैं। इस योजना के लिए निम्नलिखित परिवार पूरी तरह पात्र माने जाते हैं:

पात्र परिवारों की श्रेणियां

>> बेघर परिवार:ऐसे नागरिक जिनके पास रहने के लिए कोई निश्चित आश्रय या घर नहीं है और वे खुले में या अस्थाई तंबू में रहते हैं।

>> कच्चे मकानों में रहने वाले:जिन परिवारों के पास खुद का पक्का घर नहीं है और वे पूरी तरह से टूटे-फूटे, घास-फूस या मिट्टी के कच्चे घरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

>> अत्यंत गरीब और असहाय:भीख मांगकर अपना गुज़ारा करने वाले लोग, सड़कों से कूड़ा उठाने वाले (Rag pickers) या साफ-सफाई के काम से जुड़े बेहद गरीब नागरिक।

>> विशिष सामाजिक समूह:आदिम और विशिष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के लोग तथा बंधुआ मजदूरी से कानूनी तौर पर छुड़ाए गए नागरिक।

अपात्रता की शर्तें: किन लोगों को नहीं मिलेगा इस योजना का फाय

योजना में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या गलत व्यक्ति को लाभ मिलने से रोकने के लिए सरकार ने अपात्रता की सूची भी जारी की है। यदि किसी परिवार में नीचे दी गई स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति पाई जाती है, तो उन्हें PMAY-G Beneficiary List से बाहर कर दिया जाएगा:

आर्थिक और संपत्ति संबंधी अपात्रता

>> पक्का मकान होना:ऐसे सभी परिवार जो पहले से ही 2 कमरों से ज़्यादा के पक्के मकान में रह रहे हैं।

>> वाहनों का स्वामित्व:यदि परिवार के पास अपना खुद का टू-व्हीलर (मोटरसाइकिल स्कूटर), कार, कमर्शियल गाड़ी या बोट (नाव) उपलब्ध है।

>> कृषि उपकरण:यदि खेती-किसानी के काम के लिए परिवार के पास थ्री-व्हीलर या फोर-व्हीलर कृषि उपकरण (जैसे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर) मौजूद है।

>> क्रेडिट कार्ड लिमिट:यदि परिवार के किसी भी सदस्य के पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट लिमिट वाला चालू क्रेडिट कार्ड है।

आय और रोजगार संबंधी अपात्रता

>> सरकारी नौकरी:परिवार का कोई भी एक सदस्य यदि केंद्र या राज्य सरकार की किसी सरकारी नौकरी या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है।

>> मासिक आय सीमा:परिवार के किसी भी सदस्य की कुल मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है।

>> टैक्स पेयर्स:यदि परिवार का कोई भी व्यक्ति आयकर (Income Tax) या प्रोफेशनल टैक्स भरता है।

>> घरेलू उपकरण:यदि घर में फ्रिज (Refrigerator) या लैंडलाइन फोन कनेक्शन जैसी कोई भी एक आधुनिक सुविधा मौजूद है।

>> व्यावसायिक उद्यम:सरकार द्वारा पंजीकृत किसी भी प्रकार का गैर-कृषि उद्यम (Non-agricultural enterprise) चलाने वाले लोग।

जमीन के मालकिाना हक संबंधी नियिम

>> यदि आपके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचाई योग्य जमीन है और साथ में सिंचाई के लिए कम से कम एक आधुनिक उपकरण (जैसे नलकूप या पंपसेट) मौजूद है।

>> यदि आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा खेती के लिए जमीन उपलब्ध है, जिसमें साल के सीजन में 2 से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं।

>> कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ यदि कुल कृषि योग्य भूमि 7.5 एकड़ से ज़्यादा है।

पीएम आवास योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची

यदि आप PMAY-G योजना के तहत अपनी पात्रता सुनिश्चित कर चुके हैं, तो आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों (Required Documents) की प्रतियों को व्यवस्थित करके रख लेना चाहिए:

>> आधार कार्ड:आवेदक के आधार कार्ड की स्व-सत्यापित (Self-Attested) फोटोकॉपी। यदि आवेदक पूरी तरह अनपढ़ है, तो फॉर्म पर उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान मान्य होगा।

>> मनरेगा जॉब कार्ड:स्थानीय ग्राम पंचायत या ब्लॉक द्वारा जारी किया गया वैध मनरेगा जॉब कार्ड नंबर।

>> बैंक खाते की जानकारी:डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसे प्राप्त करने के लिए बैंक पासबुक की साफ फोटोकॉपी, जिसमें खाता संख्या, बैंक का नाम और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिख रहा हो।

>> स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर:शौचालय निर्माण के लाभ के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया आपका SBM रजिस्ट्रेशन नंबर।

>> शपथ पत्र (Affidavit):एक कानूनी एफिडेविट जिसमें लाभार्थी को लिखित रूप में यह घोषणा करनी होगी कि देश के किसी भी हिस्से में उसके या उसके परिवार के नाम पर कोई पक्का मकान नहीं है।

आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

पीएम आवास योजना ग्रामीण के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं:

>> स्टेप 1: आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं:सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर विजिट करें।

>> स्टेप 2: व्यक्तिगत विवरण भरें:होमपेज पर जाने के बाद Personal Detail Section में जाएं। यहाँ आवेदक का पूरा नाम, चालू मोबाइल नंबर, आधार नंबर और लिंग जैसी बुनियादी जानकारियां सही-सही दर्ज करें।

>> स्टेप 3: आधार सहमति (Consent) अपलोड करें:सरकार के नियमों के अनुसार अपने आधार डेटा को सत्यापित और उपयोग करने के

लिए सहमति पत्र (Consent Form) को डाउनलोड करके, उस पर हस्ताक्षर कर स्कैन कॉपी अपलोड करें।

>> स्टेप 4: बेनेफिशियिरी लिस्ट खोजें:अब स्क्रीन पर दिख रहे Search बटन पर क्लिक करें। इसके जरिए सिस्टम ऑटोमैटिकली Beneficiary List से आपका नाम, PMAY ID और वरीयता (Priority Number) को खोज लेगा।

>> स्टेप 5: पंजीकरण पूरा करें:इसके बाद Click to Register के विकल्प पर क्लिक करें। ऐसा करते ही लाभार्थी की पूर्व-सत्यापित जानकारी स्क्रीन पर अपने आप खुल जाएगी।

>> स्टेप 6: अतिरिक्त विवरण और बैंक अकाउंट भरें:अब बचे हुए कॉलम में मकान के मालिकाना हक का प्रकार (Type of Ownership), आधार से संबंध आदि भरें। अगले सेक्शन में बैंक खाते की पूरी जानकारी दर्ज करें। यदि आप अतिरिक्त लोन चाहते हैं तो Yes चुनें और लोन की राशि भरें। अंत में अपना मनरेगा जॉब कार्ड और SBM नंबर डालकर फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद का सत्यापन कार्य संबंधित ब्लॉक ऑफिस द्वारा पूरा किया जाएगा।

मोबाइल ऐप (Awaasplus 2024) से आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिएAwaasplus 2024 survey Appके जरिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। मोबइल से घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) तकनीक की मदद से ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करने के स्टेप्स निम्नलिखित हैं:

चरण 1: जरूरी ऐप्स डाउनलोड करना और भाषा का चयन

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर Google Play Store या आधिकारिक वेबसाइट से दो मुख्य मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करें - पहला:Latest App version for Awaasplus 2024 surveyऔर दूसरा:AadhaarFaceRD(यह चेहरे की पहचान के लिए जरूरी है)। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपनी पसंदीदा भाषा (English Hindi Others) का चयन करें।

चरण 2: सर्वे प्रकार और आधार ऑथेंटिकेशन

स्क्रीन पर AwaasPlus2024 Survey का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ आपके सामने दो विकल्प आएंगे - Assisted Survey और Self Survey। आपको खुद का आवेदन करने के लिएSelf Surveyके विकल्प को चुनना है। इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें और Authenticate पर क्लिक करें। सभी अनुमतियों (Permissions) को अनुमति दें और I am aware बॉक्स को टिक करके Proceed दबाएं।

चरण 3: फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान)

अब आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा और स्क्रीन पर एक गोला (Circle) दिखाई देगा। फेस ऑथेंटिकेशन के दौरान ध्यान रखें कि आपके चेहरे पर कोई रंगीन चश्मा (Sunglasses) या मास्क न हो। आपके पीछे कोई तेज रोशनी न हो और बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए। कैमरे के सामने चेहरे को स्थिर रखें, जैसे ही गोला हरे (Green) रंग का हो जाए, अपनी पलकें 1-2 बार झपकाएं। प्रक्रिया पूरी होते ही e-KYC की प्रक्रिया सफल हो जाएगी और आपकी आधार डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। भविष्य के लॉगिन के लिए अपना 4 अंकों का गुप्त पिन (PIN) सेट करें।

चरण 4: लोकेशन और परिवार का विवरण दर्ज करना

अब Select Location विकल्प में जाकर अपने राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और अपने गांव का नाम चुनें। इसके बाद Add Edit Survey पर क्लिक करते ही एक डिजिटल फॉर्म खुल जाएगा। इस योजना में सरकार परिवार की महिला सदस्य के नाम से ही आवेदन करने को प्राथमिकता देती है। परिवार के मुखिया का नाम, जॉब कार्ड नंबर और अन्य जानकारियां भरें और Save and Next पर क्लिक करें।

चरण 5: सदस्यों का विवरण और बैंक डेटा सबमिशन

अगले चरण में आपको परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनकी उम्र और आधार नंबर को एक-एक करके दर्ज करना होगा और प्रत्येक सदस्य की जानकारी को Save करते जाना है। अंत में आवेदक के बैंक खाते का पूरा विवरण (Account Number IFSC) ध्यानपूर्वक भरें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा और जांच के बाद स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत के ग्रामीण समाज की तस्वीर बदलने और गरीबों को एक सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त हो चुकी है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन और आवास प्लस मोबाइल सर्वे ऐप 2026 ने ग्रामीण भाई-बहनों के लिए आवेदन को बेहद सरल बना दिया है। यदि आप भी इस योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो बिना किसी देरी के आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण जरूर कराएं और सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का सीधा लाभ उठाएं।

महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

मैदानी क्षेत्रों (Plain Areas) में पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति यूनिट 1,30,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत मकान के साथ शौचालय का निर्माण करने के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता अलग से दी जाती है।

योजना के नियमानुसार बनने वाले पक्के मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना आवश्यक है, जिसमें एक स्वच्छ रसोईघर (Kitchen) भी शामिल है।

हाँ, लाभार्थी चाहे तो पक्का मकान बनाने के लिए 70,000 रुपये तक का लोन 3% ब्याज दर की सब्सिडी के साथ ले सकता है। इसके अलावा अधिकतम 2 लाख रुपये तक के मूलधन पर भी सरकारी सब्सिडी ली जा सकती है।

नहीं, यदि परिवार में किसी भी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है, तो वह परिवार इस योजना के लिए अपात्र (Ineligible) माना जाएगा।

यदि आपके पास कोई दुपहिया वाहन (Two wheeler), कार, नाव या खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला थ्री फोर व्हीलर उपकरण (जैसे ट्रैक्टर) है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते।

मोबाइल से आवेदन करने के लिए आपको दो ऐप्स डाउनलोड करने होंगे - पहला Latest App version for Awaasplus 2024 survey और दूसरा चेहरे के सत्यापन के लिए AadhaarFaceRD ऐप।

ऐप में आधार नंबर डालने के बाद कैमरा ऑन होता है और स्क्रीन पर एक गोला दिखता है। चेहरा साफ बैकग्राउंड में रखकर गोले के हरा होने पर 1-2 बार पलकें झपकानी होती हैं, जिससे e-KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

नहीं, ऐसे सभी परिवार जो पहले से ही 2 कमरों से अधिक के पक्के घर में रह रहे हैं, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पूरी तरह से अपात्र हैं।